# न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर

**पीठासीन अधिकारी** : **डॉ. प्रियंका पारीक RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
**सेशन प्रकरण संख्या** : **18/2024**
**CIS No.** : **RJSM010000962024**

---

**राजस्थान राज्य**

**बनाम**

1. सीताराम पुत्र लड्डूलाल उम्र 40 साल निवासी ग्राम बालेर पुलिस थाना बहरावण्डा कलां जिला सवाई माधोपुर।

.....**अभियुक्त।**

----

**अपराध अंतर्गत धारा 302, 506 भारतीय दण्ड संहिता**

**उपस्थितिए**

1. श्री हरकेश मीना अपर लोक अभियोजक : राजस्थान राज्य की ओर से।
2. श्री गिर्राज तेहरिया अधिवक्ता : अभियुक्त ओर से।

----

| | | |
|---|---|---|
| अपराध की दिनाँक | : | 30.11.2023 की रात्रि से 01.12.2023 की सुबह तक |
| एफआईआर की दिनाँक | : | 01.12.2023 |
| आरोप पत्र की दिनाँक | : | 02.01.2024 |
| आरोप विरचना की दिनाँक | : | 14.02.2024 |
| साक्ष्य आरम्भ की दिनाँक | : | 14.03.2024 |
| बहस सुने जाने की दिनॉक | : | 27.05.2026 |
| **निर्णय की दिनाँक** | | **08.06.2026** |

**– निर्णय–**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी/प्रार्थी रतनलाल पुत्र गंगाराम निवासी सोईकलां तहसील व जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ने दिनाँक 01.12.2023 को पुलिस थाना बहरावण्डा कलां में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसने उसकी पुत्री आशा की शादी करीब 15-16 वर्ष पूर्व सीताराम पुत्र लड्डू तेली निवासी बालेर के साथ सम्पन्न की थी। दिनाँक

01.12.2023 को उसे सूचना मिली कि आपके जंवाई सीताराम तेली ने उसकी पुत्री आशा की मारपीट कर हत्या कर दी है। आप ग्राम बालेर आ जाओ। इस सूचना पर वह ग्राम बालेर आया तो उसकी दोहिती राधा, विशाखा, परी पुत्रियां सीताराम ने बताया कि कल दिनाँक 30.11.2023 की रात से उसके पिताजी सीताराम ने उसकी मम्मी के साथ मोगरी से मारपीट की है, जिससे उसकी मम्मी आशा की हत्या हो गयी है। जब उन्होंने पिताजी से मम्मी के साथ मारपीट करने से मना किया तो पिताजी ने उनको मकान से बाहर भगा दिया और दिनाँक 01.12.2023 को सुबह भी मोगरी से उसकी मम्मी के साथ मारपीट करता रहा और उसकी मम्मी को उसके पापा ने मार दिया। उनसे कहा कि किसी से बाहर जाकर मत कहना, नहीं तो तुम्हें भी जान से खत्म कर दूंगा। उसकी दोहिती राधा ने अपनी ताई सम्पत्ति को जाकर सारी बात बतायी तो सम्पत्ति उसकी बेटी के घर आयी तो मालूम चला कि उसकी बेटी आशा, सीताराम के द्वारा मारपीट करने से मर चुकी है। उसकी पुत्री आशा के साथ पूर्व में भी उसका जंवाई सीताराम इसी तरह से मारपीट करता था जिसको उसने कई बार आशा के साथ मारपीट नहीं करने के लिए समझाया था। लेकिन वह नहीं माना और आज मारपीट कर उसकी बेटी आशा की हत्या कर दी है ...इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना बहरावण्डा कलां जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 124/2023 अंतर्गत धारा 302, 506 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त सीताराम के विरूद्ध उक्त आरोपित अपराध में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार में प्रस्तुत किया। प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने के कारण सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर को कमिट किया गया। तत्पश्चात सेशन न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को सुनवाई हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को उक्त अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन में, अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक

साक्ष्य में निम्न साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करवाये गयेः–

| | | |
|---|---|---|
| P.W. | 1 | रतन |
| P.W. | 2 | गिर्राज |
| P.W. | 3 | मुरारी |
| P.W. | 4 | राधिका |
| P.W. | 5 | विशाखा |
| P.W. | 6 | जशोदा |
| P.W. | 7 | रोहताश |
| P.W. | 8 | अमीलाल |
| P.W. | 9 | महावीर |
| P.W. | 10 | डॉक्टर धर्मराज |
| P.W. | 11 | डॉक्टर पुष्पेन्द्र गुप्ता |
| P.W. | 12 | योगेश उर्फ योगेन्द्र |
| P.W. | 13 | धीरज शर्मा |
| P.W. | 14 | मीठालाल |
| P.W. | 15 | सुरेश चन्द |

5. प्रकरण में अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

| | | |
|---|---|---|
| प्रदर्श पी. | 1 | तहरीरी रिपोर्ट |
| प्रदर्श पी. | 2 | चाक एफआईआर |
| प्रदर्श पी. | 3 | फर्द पंचायतनामा |
| प्रदर्श पी. | 4 | लाश सुपुर्दगी |
| प्रदर्श पी. | 5 | नक्शा मौका |
| प्रदर्श पी. | 6 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी राधिका |
| प्रदर्श पी. | 7 | बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी राधिका |
| प्रदर्श पी. | 8 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी विशाखा |
| प्रदर्श पी. | 9 | बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी विशाखा |
| प्रदर्श पी. | 10 | फर्द जप्ती दो जार |
| प्रदर्श पी. | 11 | अग्रेषण पत्र |

| | | |
|---|---|---|
| प्रदर्श पी. | 12 | प्राप्ति रसीद |
| प्रदर्श पी. | 13 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सीताराम |
| प्रदर्श पी. | 14 | फर्द बरामदगी एवं जप्ती |
| प्रदर्श पी. | 15 | फर्द नक्शा मौका बरामदगी |
| प्रदर्श पी. | 16 | फर्द नक्शा मौका |
| प्रदर्श पी. | 17 | पोस्टमार्टम रिपोर्ट |
| प्रदर्श पी. | 18 | विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट |
| प्रदर्श पी. | 19 | प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम |
| प्रदर्श पी. | 20 से 24 | फोटोग्राफ्स |
| प्रदर्श पी. | 25 | कवरिंग लेटर |
| प्रदर्श पी. | 26 | निरीक्षण रिपोर्ट |
| प्रदर्श पी. | 27 | प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम |
| प्रदर्श पी. | 28 से 30 | फोटोग्राफ्स |
| प्रदर्श पी. | 31 ए | मालखाना रजिस्टर प्रति |
| प्रदर्श पी. | 32 व 33 | फर्द इत्तला अभियुक्त सीताराम |
| प्रदर्श पी. | 34 | आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त सीताराम |

6. बाद साक्ष्य अभियोजन प्रकरण में अभियुक्त का अंतर्गत 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत व झूठा होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अवधारण के लिए बिन्दु है किः–

1. **क्या अभियुक्त ने दिनाँक 30.11.2023 की रात्रि से दिनाँक 01.12.2023 की सुबह के मध्य किसी समय ग्राम बालेर में स्थित अपने मकान में स्वयं की पत्नी (परिवादी की पुत्री) आशा के साथ मोगरी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी ?**

2. **क्या अभियुक्त ने उक्त दिनाँक, समय व स्थान पर उक्त कृत्य के पश्चात अपनी पुत्रियों राधा, विशाखा एवं परी को उक्त कृत्य के बाबत किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया ?**

**यदि हाँ तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ?**

8. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विद्वान अपर लोक अभियोजक का बहस में कथन है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित हैं। अत: अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्डादेश दिया जावे।

9. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह बहस में यह कथन है कि प्रकरण में इस घटना का मृतका की पुत्रियों के अलावा कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। द्यपि मृतका के पीहर वालों ने अभियुक्त के विरूद्ध सकारात्मक कथन किये हैं, परन्तु घटना के समय मौके पर उपस्थित मृतका की दोनों पुत्रियों P.W. 4 राधिका एवं P.W. 5 विशाखा जो कि नाबालिग हैं, ने अपने पिता का वक्त घटना खेत पर होना बताया है तथा उनकी मॉ को रात के समय दो चोरों के द्वारा आकर मारपीट किये जाने के कारण उसकी मृत्यु होने का कथन किया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण के अलावा घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अत: उक्त आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

10. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. **प्रकरण में उपर उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण इस प्रकार है:–**

12. प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कुल 15 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है। जिनमें

से परिवादी **रतन,** जो कि मृतका आशा का पिता है, **प्रकरण में P.W. 1** के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 1 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि मृतका आशा उसकी बेटी थी, जिसका विवाह 15–16 साल पहले सीताराम के साथ हुआ था। सीताराम उसकी बेटी के साथ मारपीट करता रहता था। उन्होंने पहले भी कई बार समाज के सतर पर सीताराम को समझाया था। एक बार रिपोर्ट भी बहरावण्डा कला थाने में दी थी, लेकिन थानेदार ने सीताराम को समझा दिया था और सीताराम ने उनसे माफी मांग ली थी। लगभग चार माह पहले की बात है, वह गौशाला में था तो सीताराम के भाई रमेश का उसके पास फोन आया कि तुम्हारी बच्ची मर गयी है। इस पर वह, उसका भतीजा मुरारी, गिर्राज तीनों ही कार से बालेर पहुँचे। सीताराम के घर गये, उससे पहले पुलिस आशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए खण्डार अस्पताल ले जा रही थी। उसने दोहिती राधिका एवं विशाखा से घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मम्मी को सीताराम ने मोगरी से पीट–पीटकर हत्या कर दी। सारी रात उसकी मॉ के साथ मारपीट की थी। जब दोहिती राधिका एवं विशाखा अपनी मॉ को बचाने के लिए गयी तो सीताराम ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे वे डरकर दूसरे कमरे में चली गयी। उसने इस घटना की पुलिस थाना बहरावण्डा कलां में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, जो प्रदर्श पी. 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 2, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी. 3, लाश की सुपुर्दगी प्रदर्श पी. 4 एवं घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 5 है, जिस पर गवाह ने स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। **जिरह** में गवाह ने यह कथन किया है कि सीताराम ने उसकी बेटी आशा के साथ इस घटना से पहले कब कब कौनसी तारीख, माह साल व संवत में मारपीट की, वह नहीं बता सकता। उसने इस घटना से पहले बहरावण्डा कलां थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, लेकिन वहां पर उसे समझा दिया था। यह सही है कि **उसने घटना उसकी आंखों से नहीं देखी। उसने तो रिपोर्ट अपनी दोहिती के कहने के आधार पर दर्ज करायी थी।** रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 किस तारीख को उसने थाना बहरावण्डा कलां में दी, वह नहीं बता सकता। वह पढ़ा लिखा नहीं है। पुलिस ने पंचायतनामा प्रदर्श पी. 3 पर उससे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था और उसने हस्ताक्षर कर दिये। प्रदर्श पी. 5 नक्शा मौका में क्या लिखा हुआ है, वह नहीं बता

सकता। पुलिस ने उससे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था और उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। यह कहना गलत है कि उसकी दोनो दोहिती राधिका उर्फ राधा एवं विशाखा ने भी यह बात बतायी हो कि रात के समय दो चोर मुॅह के डाटे बांधकर उनके घर में चोरी करने की गरज से घुस गये हों और उसकी मॉ आशा ने उनका विरोध किया हो तो उन चारों ने आशा के साथ लाठी डण्डों से मारपीट की हो, जिससे उसके जगह जगह सिर में चोटें आयी हो और उसी कारण आशा की मृत्यु हुई हो, यह बताया हो।

13. गवाह **P.W. 2 गिर्राज**, मृतका के मरने के पश्चात परिवादी रतनलाल के साथ मृतका के घर पहुॅंचा है। उक्त साक्षी ने भी परिवादी के ही कथनों की ताईद की है तथा यही कहा है कि जब वे बालेर पहुँचे तो वहां पर आशा के बच्ची विशाखा एवं राधा मिली, जिनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके पापा ने उसकी मॉ को सारी रात मोगरी से पीटा था। बच्चीयों ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने कहा कि यहां बचाने आयी तो तुम्हें पछाड़कर मार डालूंगा। उन्होंने आस पास के मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सीताराम सारी रात उसकी पत्नी को मारता पीटता रहा है। उसने आशा की लाश देखी थी, उसके पूरे शरीर में चोटें थी, उसके पैर, सिर, हाथ, मुॅह पर नीलगुनूमा चोटें थी। पुलिस ने वहां आशा की लाश का फर्द पंचायतनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी. 3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आशा के साथ उसके प्रति सीताराम द्वारा बुरी तरह मारपीट करने की वजह से आशा की मृत्यु हुई है। **जिरह** में गवाह ने यह कथन किया है कि **उसे घटना की सूचना उसके मामा के लड़के मुरारी ने दी थी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने उसकी आंखों से कभी भी आशा को उसके पति द्वारा मारते–पीटते नहीं देखा।** यह कहना गलत है कि विशाखा एवं राधा ने उन्हें यह बताया हो कि रात के समय दो अंदान व्यक्ति मुॅह पर डांट लगाकर घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे हों। आशा के साथ उसके पति द्वारा इस घटना से एक साल पूर्व मारपीट की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। वह रिपोर्ट कौनसे साल, संवत में दर्ज करायी, यह ध्यान नहीं हे। यह रिपोर्ट उसके मामाजी रतन, मौजीराम ने दर्ज करायी थी एवं वह भी उनके साथ आया था। यह बात सही है कि उसके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में घटना से पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराने वाली बात

नहीं लिखी हुई है। यह बात सही है कि उसने उसकी आंखों से आशा के साथ घटित घटित हुई, वह नहीं देखी।

14. गवाह **P.W. 3 मुरारी** ने भी अपने मुख्य परीक्षण में उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य की ताईद की है तथा आगे यह भी कथन किया है कि पुलिस ने लाश का पंचायतनामा एवं घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो क्रमश: प्रदर्श पी. 3 एवं 5 है। जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आशा की मृत्यु उसके पति सीताराम द्वारा मोगरी से मारपीट करने के कारण हुई थी। **जिरह** में गवाह ने यह कथन किया है कि आशा के साथ उसके पति ने इस घटना से पूर्व कब और किस साल संवत में मारपीट की, वह तारीख, वार, साल संवत नहीं बता सकता। इस घटना से पहले रिपोर्ट कौनसी तारीख, वार, माह साल, संवत में दी, वह नहीं बता सकता। इस घटना की सूचना रमेश ने दी थी। यह सही है कि उन्हें रमेश ने इस घटना की सूचना दी हो, यह बात उसके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में नहीं लिखी हुई है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने उसकी आंखों से आशा के साथ घटना घटित हुई, वह नहीं देखी।

15. गवाह **P.W. 3 राधिका उर्फ राधा एवं P.W. 4 विशाखा** जो कि क्रमश: 13 एवं 11 वर्षीय बालिकाएं हैं। उक्त दोनों बालिकाएं बयान देने हेतु सक्षम है अथवा नहीं, इस संबंध में न्यायालय द्वारा आवश्यक प्रश्न पूछकर समाधान किया गया, तथा दोनों बालिकाएं उत्तर देने में सक्षम पायी गयी। उक्त दोनों बालिकाओं ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि दिनाँक 30.11.2023 को वे शाम को खाना खाकर सो गये थे। पापा रात को आये थे और खाना खाकर खेत पर चले गये। उनके घर में दात के समय दो चोर आये, उन दोनों चोरों ने उसकी मम्मी को डण्डों से मारा था। वे सभी बहन भाई डर के मारे रजाई में छिप गये। मम्मी चिल्ला रही थी ओर वे भी रो रहे थे। वे लोग मम्मी के साथ मारपीट करके चले गये। जब चोर चले गये तब मम्मी ने दोनों बहनों से खेत पर जाने की कही तो दोनों बहनें उसके पापा के पास खेत पर चले गये। पापा घर पर आ गये। फिर वापस उसके पापा खेत पर आये और कहा कि सानी करना छोड़ो तुम्हारी मम्मी मर गयी है और वे रोते हुए उनके घर पर आ गये। **उक्त दोनों साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुई हैं** और अभियोजन कहानी का तनिक भी समर्थन नहीं किया है। **जिरह** में गवाह **P.W. 4**

**राधिका उर्फ राधा** ने यह कथन किया है कि उसकी मम्मी को दो अंजान चोरों ने डण्डे से मारा था, यह बात उसने एवं उसकी बहन ने अच्छी तरह से देखा था। गवाह यह स्वीकार करती है कि उसकी मम्मी एवं वे दोनों बहनें जोर जोर से चिल्लाये थे, लेकिन चोंरों ने उन्हें डरा दिया। चोरों ने उसकी मम्मी से लाठी डण्डों से मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे मम्मी के शरीर पर जगह जगह चोटें आयी और इन्हीं चोटों की वजह से मम्मी की मृत्यु हो गयी। यही बात उसने पुलिस को, उसके पापा को एवं अन्य परिवार वालों को बतायी थी। यह बात उन्होंने उनके नाना नानी को भी बतायी थी, लेकिन वो उनसे बुरी तरह लड़ने लग गये और धमकाने लगे कि वे जैसे कहें तुम दोनों को बोलना है। उनके घर में चोर घुसे, उस समय उसके पापा खेत पर थे, वो घर पर नहीं थे। इसी प्रकार **गवाह P.W. 5 विशाखा** ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वे उनके पापा को बचाना चाहते हैं। यह बात सही है कि उन्हें उनके नाना नानी उनके साथ उनके घर पर नहीं ले गये और वे सभी भाई बहन उसके बड़े पापा के पास रह रहे हैं। उक्त दोनों गवाहान ने यह कथन किया है कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में उनकी मम्मी को पापा द्वारा मोगरी से मारने वाली बात उसके नाना नानी के कहने से गलत लिखायी थी।

16. गवाह **P.W. 6 जसोदा** मृतका की माँ है, जिसने भी अन्य गवाहान के साथ एक ही स्वर में सीताराम द्वारा उसकी बेटी के साथ मोगरी से मारपीट कर उसे मारने का कथन किया है। **जिरह** में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने उसकी आंखों से कोई घटना नहीं देखी। वह जो भी बयान दे रही है वह सुने सुनाये आधार पर दे रही है। इस घटना से पूर्व उन्होंने सीताराम के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज नहीं करायी। यह बात सही है कि तथाकथित घटना के समय आशा के पास विशाखा एवं राधिका दोनों बच्चीयां मौजूद थी। यह उसे पता नहीं है कि घटना की रात को आशा का पति सीताराम खेत पर हो।

17. गवाह **P.W. 7 रोहताश कानि**. ने प्रकरण में जप्त दो कांच के जार व अग्रेषण पत्र एच एम मालखाना मीठालाल द्वारा एफएसएल में जमा कराने हेतु दिये जाने पर दिनाँक 15.12.2023 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराकर रसीद प्राप्त

कर एचएम मालखाना को दिये जाने का कथन किया है। गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 11 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। गवाह ने अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 12 एवं माल जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 12 होने का कथन किया है।

18. गवाह **P.W. 8 अमीलाल कानि0 एवं P.W. 9 महावीर** फर्द जप्ती एवं नक्शा मौका बरामदगी स्थल के साक्षी है, जिन्होंने मुलजिम द्वारा वक्त घटना काम में ली गयी लकड़ी की बल्लेनुमा मोगरी निकालकर अनुसंधानाधिकारी के समक्ष पेश करने, फर्द जप्ती मोगरी प्रदर्श पी. 14 एवं बरामदगी स्थल के नक्शे मौके प्रदर्श पी. 15 एवं फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 16 पर उनके स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। **जिरह** में गवाहान ने यह स्वीकार किया है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 14 में ऐसा कोई अंकन नहीं है कि जप्ती के वक्त बल्लेनुमा मोगरी पर खून आदि के आलामात हो। यह सही है कि जप्तशुदा मोगरी सामान्यत: कपड़े धोने के लिए परिवारों में मिल जाती है।

19. गवाह **P.W. 10 डॉक्टर धर्मराज एवं P.W. 11 डॉक्टर पुष्पेन्द्र गुप्ता** प्रकरण में बोर्ड के सदस्य के रूप में मृतका आशा का पोस्टमार्टम करने वाले साक्षीगण हैं। जिन्होंने अपने बयानों में यह कथन किया है कि बॉडी का मुआयना किया जिसमें बॉडी लेटी हुई व हस्टपुष्ट थी, बोडी में जकड़न उपस्थित थी। बोडी के डिपेंडेंट पार्ट्स पर पीएम स्टेनिंग मौजूद थी। अलग अलग साईज के नीलगू निशान पूरी बॉडी पर मौजूद थे। गर्दन के दाहिने भाग पर लेसरेटेड बोन मौजूद था एवं विभिन्न प्रकार के लेसरेटेड बॉन शरीर के अलग अलग भागों पर मौजूद थे। दोनों आंखो की पुतलियॉ फेली हुई एवं स्थाई थी। खोपड़ी पर नीलगू निशान मौजूद थे एवं दाहिनी तरफ कान के नीचे चार X एक X एक सेंटीमीटर का लेसरेटेड घाव था। अंदर दिमाग को खोलने पर पाया गया कि मस्तिष्क की मेमरेन एवं स्पाईनल कोड कन्जेस्टेड पाई गई। थोरेक्स एवं एबडोमन को खोलने पर सभी सामान्य स्थिति में पाए गए। खोपड़ी पर 4 X 2 सेंटीमीटर की सूजन ऑक्सीपिटल रीजन पर मौजूद थी। विभिन्न प्रकार के नीलगू निशान जिनकी साईज 4 X 2 सेंटीमीटर थी, पूरी खोपड़ी पर उपस्थित थे। दोनों ऑखों पर चारों ओर मस्तिष्क के सामने भाग पर नीलगू निशान मौजूद थे। दाहिने कान के नीचे 2 X 1 X .5

सेंटीमिटर का लेसरेटेड वूंड मौजूद था। गर्दन के दांई तरफ तथा दांई छोटी अंगुली पर खरोंचनुमा घाव था। दोनों पांव पर नीलगू निशान थे जो जांघ से लेकर पूरे पैर पर फेले हुए थे तथा यही निशान पीछे तरफ दोनों पांव पर फेले हुए थे और नीलगू के निशान दोनों पांवों के तलवों पर भी उपस्थित थे। मेडिकल बोर्ड के सभी डॉक्टर द्वारा बताया गया कि मरीज की मृत्यु दीमाग के अन्दर खून जमा होने के कारण हुई थी जो कि बाहर से चोट के कारण हुआ। बाकी के ऑरगल प्रिजर्व करके पॉइजन के सेंपल के लिए भरतपुर भेजे गए।पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 17 है जिस ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर सी से डी स्थान पर बोर्ड की राय अंकित है। एफएसएल रिपार्ट प्रदर्श पी. 18 है जिसमें भेजे गए सेंपल में किसी भी प्रकार का कोई पोईजन पदार्थ नहीं पाया गया। **जिरह** में गवाहान ने यह कथन किया है कि मृतका के बाह्य चोट दर्शाई गई है उनमें से कोई चोट विशेष मृतका की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, ऐसा लिखा नहीं है। यह उन्हें पता नहीं है कि मृतका के कपड़े खून के हो रहे हों। यह सही है कि मृत्यु के लिए पर्याप्त चोट का हवाला इस चोट प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। प्रदर्श पी.17 में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि यह चोट किस हथियार से आ सकती हो। गवाह P.W. 11 डॉक्टर पुष्पेन्द्र ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि पीएमआर में चोटों का कलर का अंकन नहीं है।

20. गवाह **P.W. 12 योगेश उर्फ योगेन्द्र** प्रकरण में फोटोग्राफर की हैसियत से परीक्षित हुआ है, जिसने यह कथन किया है कि अनुसंधानाधिकारी ने उसे सीताराम तैली की मृत्यु के फोटोग्राफ्स खींचने के लिए बुलाया था, जिसमें उसके द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी. 19 है। उसके द्वारा जो फोटो खींची गयी, वे प्रदर्श पी. 20 लगायत 24 हैं जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 19 पर टाईप करने, जारी करने तथा उसके हस्ताक्षर किये जाने की तिथि अंकित नहीं है। यह सही है कि फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 20 लगायत 24 किस तारीख को व कितने बजे खींचे, इस बाबत कोई अंकन नहीं है, न ही वह आज इस बारे में बता सकता है। यह सही है कि फोटोग्राफ्स देखकर यह नहीं बता सकता कि ये किस दिशा से खींचे गये हैं।

21. गवाह **P.W. 13 धीरज शर्मा** ने यह कथन किया है कि वह दिनाँक 01.12.2023 को इंचार्ज मोबाईल फोरेंसिक यूनिट सवाई माधोपुर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 124/2023 में दिनाँक 08.12.2023 को उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट बाबत कवरिंग लेटर प्रदर्श पी. 25 के मय निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 26 भेजी गयी थी। प्रदर्श पी. 25 व 26 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटनास्थल की फोटो खींचकर अनुसंधनाधिकारी को दी गयी थी, जो प्रदर्श पी. 28 लगायत 30 हैं। फोटोग्राफ्स बाबत उसके द्वारा जारी 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 27 है। उक्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में गवाह ने यह कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी. 28 लगायत 30 को देखकर वह दिशा नहीं बता सकता। यह सही है कि उसे मौके पर चूड़ियों के टुकड़ों के अलावा अन्य कोई सबूत नहीं मिला।

22. गवाह **P.W. 14 मीठालाल** प्रकरण में मालखाना इंचार्ज की हैसियत से परीक्षित हुआ है, जिसने प्रकरण में सील्डशुदा एक लकड़ी की मोगरी एवं सील्डशुदा काच के दो जार को जमा मालखाना किये जाने का कथन किया है। **जिरह** में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 31 से संबंधित मोगरी को एफएसएल के लिए नहीं भेजा।

23. गवाह **P.W. 15 सुरेश चन्द** प्रकरण में अनुसंधानाधिकारी की हैसियत से परीक्षित हुआ है, जिसने प्रकरण का अनुसंधान करने संबंधी कथन किये हैं। **जिरह** में गवाह ने यह कथन किया है कि मृतका की मृत्यु किस विशेष चोट से हुई, इस बारे में उसके द्वारा कोई राय डॉक्टर से नहीं ली गयी। परिवादी रतनलाल मृतका का पिता है तथा चश्मदीद गवाह नहीं है। नक्शा मौका बनाते समय कोई खून व अन्य प्रकार के कोई अलामात नहीं मिले। प्रदर्श पी. 13 में मुलजिम को गिरफ्तार थाने पर किया था। प्रदर्श पी. 14 फर्द बरामदगी व जप्ती मोगरी कपड़े धोने की जप्त करते समय वहां पर मोहल्ले के व परिवार के लोग मौजूद थे। लेकिन उनके नाम वह नहीं बता सकता। उन लोगों ने गवाह बनने से इंकार कर दिया, इसलिए उनको गवाह नहीं बनाया। यह बात गलत है कि विशाखा व राधिका ने यह बताया कि दिनाँक 30.11.2023 को रात को पिता सीताराम मकान पर मौजूद नहीं हो व खेत पर हो। यह बात गलत है कि विशाखा व राधिका ने यह बताया हो कि दो चार

दिनाँक 30.11.2023 की रात को उनके मकान में घुस गये हों और उनकी मम्मी ने उसका विरोध किया हो तो उसकी मम्मी को दोनों चारों ने डण्डों से मारा हो।

**–:: विवेचन ::–**

24. प्रकरण में अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे यह प्रमाणित करना है कि **क्या अभियुक्त सीताराम ने दिनाँक 30.11.2023 की रात्रि से दिनाँक 01.12.2023 की सुबह के मध्य किसी समय ग्राम बालेर में स्थित अपने मकान में स्वयं की पत्नी (परिवादी की पुत्री) आशा के साथ मोगरी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी तथा उक्त कृत्य के पश्चात अपनी पुत्रियों राधा, विशाखा एवं परी को उक्त कृत्य के बाबत किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया ?**

25. इस संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य में सर्वप्रथम चिकित्सीय साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार प्रकरण में मृतका आशा की मृत्यु मारपीट किये जाने के कारण होने का कथन किया गया है। अनुसंधानाधिकारी P.W. 15 सुरेश चन्द ने मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी. 3 तैयार किये जाने का कथन किया है जिसमें मृतका की मृत्यु मारपीट से शरीर पर आयी चोटों के कारण होना अंकित है। अनुसंधानाधिकारी P.W. 15 सुरेश चन्द के द्वारा मृतका आशा का पोस्टमार्टम करवाये जाने का भी कथन किया गया है जिसके चिकित्सीय साक्षी P.W. 10 डॉक्टर धर्मराज एवं P.W. 11 डॉक्टर पुष्पेन्द्र गुप्ता है। उक्त दोनों गवाहान मृतका आशा का पोस्टमार्टम किये जाने वाले बोर्ड के सदस्य हैं जिन्होंने मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 17 में मृतका की पूरी बॉडी पर अलग अलग साईज के नीलगू निशान मौजूद होने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि मृतका की बॉडी लेटी हुई व हस्टपुष्ट थी, बोडी में जकड़न उपस्थित थी। बोडी के डिपेंडेंट पार्ट्स पर पीएम स्टेनिंग मौजूद थी। अलग अलग साईज के नीलगू निशान पूरी बॉडी पर मौजूद थे। गर्दन के दाहिने भाग पर लेसरेटेड बोन मौजूद था एवं विभिन्न प्रकार के लेसरेटेड बॉन शरीर के अलग अलग भागों पर मौजूद थे। दोनों आंखो की पुतलियॅा फेली हुई एवं स्थाई थी। खोपड़ी पर नीलगू निशान मौजूद थे एवं दाहिनी तरफ कान के नीचे चार X एक X एक सेंटीमीटर का लेसरेटेड घाव था। अंदर दिमाग को खोलने पर पाया गया कि

मस्तिष्क की मेमरेन एवं स्पाईनल कोड कन्जेस्टेड पाई गई। थोरेक्स एवं एबडोमन को खोलने पर सभी सामान्य स्थिति में पाए गए। खोपड़ी पर 4 X 2 सेंटीमीटर की सूजन ऑक्सीपिटल रीजन पर मौजूद थी। विभिन्न प्रकार के नीलगू निशान जिनकी साईज 4 X 2 सेंटीमीटर थी, पूरी खोपड़ी पर उपस्थित थे। दोनों ऑखों पर चारों ओर मस्तिष्क के सामने भाग पर नीलगू निशान मौजूद थे। दाहिने कान के नीचे 2 X 1 X .5 सेंटीमिटर का लेसरेटेड वूंड मौजूद था। गर्दन के दांई तरफ तथा दांई छोटी अंगुली पर खरोंचनुमा घाव था। दोनों पांव पर नीलगू निशान थे जो जांघ से लेकर पूरे पैर पर फेले हुए थे तथा यही निशान पीछे तरफ दोनों पांव पर फेले हुए थे और नीलगू के निशान दोनों पांवों के तलवों पर भी उपस्थित थे। मेडिकल बोर्ड के सभी डॉक्टर द्वारा बताया गया कि मरीज की मृत्यु दीमाग के अन्दर खून जमा होने के कारण हुई थी जो कि बाहर से चोट के कारण हुआ।

26. उक्त पोस्टमार्टम के पश्चात बाकी के ऑरगन प्रिजर्व करके पॉइजन के सेंपल के प्रदर्श पी. 11 के जरिये एफएसएल के लिए भरतपुर भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 18 है। जिसके अनुसार किसी प्रकार का कोई वैश्विक पदार्थ की उपस्थिति मृतक के शरीर में नहीं पायी गयी।

27. प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह P.W. 1 रतन, P.W. 2 गिर्राज, P.W. 3 मुरारी एवं P.W. 6 जसौदा ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतका आशा की मृत्यु उसके पति सीताराम द्वारा मारपीट किये जाने के कारण होना का कथन किया है। मृतका के शरीर पर मौजूद नीलगू के निशान जगह जगह होना फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 20 लगायत 24 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है। उक्त फोटोग्राफ्स के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिर्नियम का प्रमाण पत्र प्रदश पी. 19 है। जिसकी पुष्टि गवाह P.W. 12 योगेश उर्फ योगेन्द्र फोटोग्राफर द्वारा की गयी है। अत: पत्रावली पर प्रस्तुत चिकित्सीय, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि मृतका की मृत्यु किसी दुर्घटनावश अथवा प्राकृतिक नहीं होकर उसके साथ हुई मारपीट के कारण दिमाग में अंदर खून जमा हो जाने के कारण हुई है, जो कि असाध्य परिस्थितियों में कारित होना प्रमाणित होता है।

28. न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि **क्या अभियुक्त सीताराम द्वारा मृतका आशा के साथ मारपीट करने के कारण ही मृतका आशा की मृत्यु कारित**

**हुई है** ?

29. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **शरद विरदीचंद बी. शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, सी.आर.एल. आर. 1984 (4) एस.सी.सी. पेज 296** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को निस्तारित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं जिसमें पांच स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि:–

1. ऐसी परिस्थितियों को जिनके अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित किया जा रहा है , वे पूरी तरह से साबित होनी चाहिए।
2. ऐसे तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए जो अभियुक्त और उसके द्वारा किये गये अपराध से संबंधित हों और उनका स्पष्टीकरण संभव नहीं हो। केवल ऐसी परिस्थितियों का तात्पर्य यह होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है।
3. ऐसी सभी परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त का दोष साबित होता हो, वे प्रकृति में निश्चयात्मक होनी चाहिए।
4. ऐसी परिस्थितियां साबित होने के अलावा किसी भी संभाव्यता की ओर इंगित नहीं होनी चाहिए।
5. परिस्थितिजन्य साक्ष्य को एक कडी के रूप में होना चाहिए। उसमें किसी ऐसे प्रकार की युक्तियुक्त संभावना नहीं होनी चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति निर्दोष है बल्कि उसमें संपूर्ण मानव अधिसम्भाव्य होनी चाहिए कि अपराध उसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है।

30. उक्त न्यायक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुक्रम में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य का विवेचन मुख्य दो बिन्दुओं पर किया जाना है:–

1. **Motive (हेतुक)**
2. **अभियुक्तगण से हुई बरामदगी।**

31. हस्तगत प्रकरण में परिवादी P.W. 1 रतनलाल मृतका आशा का पिता है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित किये जाने का कथन किया है। परन्तु दौराने जिरह यह कथन किया है कि उसने उक्त घटना अपनी आंखों से नहीं देखी। अपनी दोहिती के कहे

अनुसार रिपोर्ट दर्ज करवायी है। इसी प्रकार P.W. 2 गिर्राज, P.W. 3 मुरारी एवं P.W. 6 जसौदा जो कि मृतका के रिश्तेदार हैं, ने मृतका के पति सीताराम द्वारा 3 मृतका के साथ मारपीट किये जाने के कारण मृतका की मृत्यु कारित होने का कथन किया है। परन्तु उक्त सभी गवाहान ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतका के साथ अभियुक्त सीताराम को मारपीट करते हुए नहीं देखा। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के कथनों से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट की गयी हो, यह कथन वे सुने–सुनाये आधार पर करते हैं।

32. प्रकरण की मुख्य गवाह P.W. 4 राधिका एवं P.W. 5 विशाखा हैं, जो कि अभियुक्त एवं मृतका की पुत्रियां हैं। ये दोनों गवाहान घटना के समय स्वयं का मौके पर उपस्थित होने का कथन करती हैं। उक्त दोनों ही गवाहान ने न्यायालय में हुए अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान क्रमशः प्रदर्श पी. 7 व 9 में उसके पिता सीताराम द्वारा उनकी माँ के मारपीट कर उसकी माँ की हत्या किये जाने का कथन किया है। परन्तु न्यायालय में उक्त दोनों ही गवाहान ने एक स्वर में यह कथन किया है कि रात्रि को पिता खेत पर चले गये थे तथा रात के समय दो चोर आये जिन्होंने मृतका के साथ डण्डों से मारपीट की तथा वे डर के मारे रजाई में छिप गयी। जब वे पीट–पाटकर चले गये, उसके पश्चात ये दोनों बहनें उनके पिता के पास खेत पर गयी तथा उसके पिता ने वापस आकर उन्हें बताया कि उनकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों से दो विरोधाभासी कथन प्रकट होते हैं, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता रतन P.W. 1, P.W. 2 गिर्राज, P.W. 3 मुरारी एवं P.W. 6 जसौदा, अभियुक्त सीताराम द्वारा मारपीट किये जाने के कारण मृतका की मृत्यु होने का कथन करते हैं। परन्तु उक्त गवाहान स्वयं यह भी स्वीकार करते हैं कि वे घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे तथा मौके पर उपस्थित साक्षीगण P.W. 4 राधिका एवं P.W. 5 विशाखा जो कि मृतका की पुत्रियां है, वे यह कथन करती है कि वरवक्त घटना उनके पिता खेत पर थे तथा दो अन्य चोरों के द्वारा घर में घुसकर उनकी मा के साथ मारपीट की गयी।

33. इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सम्मानीय नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त **MD Bani Alam Mazid @ Dhan Vs state of Assam, Criminal Appeal No.1649/2011 on 24.02.2025** में यह भी सिद्धान्त

प्रतिपादित किया गया है कि :– "49. In Anwar Ali Vs. State of Himachal Pradesh10, this Court after referring to the previous decisions observed that in a case where direct evidence of eye witness is available, motive loses its importance. But absence of motive in a case depending on circumstantial evidence is a factor that weighs in favour of the accused.

50. Relying on the decision in Anwar Ali (supra), this Court in Shivaji Chintappa Patil Vs. State of Maharashtra observed that in a case of circumstantial evidence, motive plays an important link to complete the chain of circumstances.

51. This Court in Nandu Singh (supra) summed up the legal position that in a case based on circumstantial evidence, motive assumes great significance. It is not as if motive alone becomes the crucial link in the case to be established by the prosecution and that in its absence, the case of the prosecution has to be discarded. But, at the same time, complete absence of motive assumes a different complexion and such absence definitely weighs in favour of the accused."

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो यह अवलोकनीय है कि स्वतंत्र गवाहान P.W. 1 रतन, P.W. 2 गिर्राज, P.W. 3 मुरारी एवं P.W. 6 जसौदा ने अभियुक्त द्वारा मृतका से मारपीट किये जाने का कथन किया है। परन्तु अभियुक्त द्वारा मृतका की मृत्यु कारित करने का हेतुक/आशय क्या हो सकता है, ऐसा कोई तथ्य उक्त गवाहान की साक्ष्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त सीताराम का मृतका आशा की हत्या कारित करने का हेतुक/आशय प्रमाणित एवं साबित नहीं है। अत: ऐसी स्थिति में मृतका आशा की हत्या कारित करने बाबत् अभियुक्त के आशय का पूर्णतः अभाव अभियोजन की कहानी के

विरूद्ध एवं अभियुक्तगण के पक्ष में निर्दोष होने की उपधारणा उत्पन्न करती है।

## 2. अभियुक्त से की गयी बरामदगी

34. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार अनुसंधानाधिकारी P.W. 15 सुरेश ने जरिये प्रदर्श पी. 14 अभियुक्त की निशानदेही से रिहायशी मकान से एक मोगरी को बरामद किये जाने का कथन किया है। जिस पर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 15 तस्दीक किया गया। उक्त तथाकथित मोगरी की जप्ती के गवाह P.W. 8 अमीलाल एवं P.W. 9 महावीर है। उक्त दोनों गवाहान ने मोगरी प्रदर्श पी. 14 के जप्त किये जाने तथा बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 15 तस्दीक किये जाने का कथन किया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि गवाहान के कथनानुसार मृतका की मृत्यु मोगरी से मारपीट किये जाने के कारण होने का कथन किया है। परन्तु अनुसंधानाधिकारी P.W. 15 सुरेश चन्द्र तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 14 के गवाहान P.W. 8 अमीलाल एवं P.W. 9 महावीर ने यह स्वीकार किया है कि फर्द जप्ती में ऐसा कोई अंकन नहीं है कि जप्ती के वक्त बल्लेनुमा मोगरी पर खून आदि के अलामात हों। गवाहान ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्तशुदा मोगरी सामान्यत: कपड़े धोने के लिए परिवारों में मिल जाती है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को आरोपित अपराध में संलिप्त करने के लिए मुख्य रूप से यह आवश्यक था कि तथाकथित हथियार मोगरी, जिससे मारपीट करने के कारण मृतका की मृत्यु होने का कथन किया गया है, की जप्ती के पश्चात उसकी एफएसएल जांच करवायी जावे। हालांकि यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर चोटों के निशान थे। प्रदर्श पी. 5 नक्शा मौका तैयार किया गया, वहां पर मृतका की बॉडी के पास खून आलूदा के निशान नहीं पाये गये। परन्तु यदि अभियुक्त द्वारा जप्तशुदा मोगरी से मृतका के साथ मारपीट की गयी है तो उसकी एफएसएल जांच करवाया जाना आवश्यक था जिससे यह संभावना थी कि उक्त मोगरी पर घटना के संबंध में कोई न कोई निशानात पाये जाते।

35. हस्तगत प्रकरण में परिवादी P.W. 1 रतन द्वारा पंजीबद्ध करवायी गयी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के समर्थन में अभियोजन की ओर से ऐसी कोइ ठोस व पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। मौके पर उपस्थित गवाहान P.W. 4 राधिका उर्फ राधा एवं P.W. 5 विशाखा न्यायालय में स्पष्ट कथन करती

हैं कि वरवक्त घटना अभियुक्त सीताराम मौके पर उपस्थित नहीं होकर खेत पर था। अभियुक्त से बरामद मोगरी पर भी किसी प्रकार की घटना के कोई अलामात नहीं पाये गये तथा न ही अभियोजन की ओर से ऐसी कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है जो यह प्रमाणित करती हो कि घटना के वक्त अभियुक्त द्वारा मोगरी का प्रयोग कर मृतका के साथ मारपीट की गयी हो।

36. साथ ही मृतका के द्वारा वरवक्त घटना जो कपड़े पहने हुए थे, उनको अनुसंधानाधिकारी द्वारा जप्त किया जाकर एसएफएल जांच नहीं करवायी गयी जिससे कड़ीबद्ध रूप से अभियेाजन कथानक की पुष्टि हो पाती है।

37. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त समग्र विवेचन से यह दर्शित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य संबंधी दोनों बिन्दु 1. Motive (घटना कारित करने बाबत् अभियुक्तगण का आशय) एवं 2. अभियुक्त से हुई बरामदगी तथा अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना को अभियोजन पक्ष संदेह से पर प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में कोई परिस्थिति साबित नहीं की गई है और अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में पूर्ण श्रृंखलाबद्ध परिस्थितियां साबित नहीं हुई है।

38. जहां तक **अभियुक्त सीताराम द्वारा स्वयं की पुत्रियों (परिवादी की दोहितियों राधा, विशाखा व परी) को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें अभित्रस्त करने का प्रश्न है**, इस संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 में यह अंकित किया गया है कि मम्मी को मेरे पापा ने मार दिया और हमसे कहा कि "**किसी से बाहर जाकर मत कहना नहीं तो तुम्हें भी जान से खत्म कर दूंगा**।" इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण स्वयं परिवादी P.W. 1 रतन, P.W. 2 गिर्राज एवं P.W. 3 मुरारी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि जब मृतका की पुत्रियां राधिका उर्फ राधा एवं विशाखा उनकी मम्मी को बचाने के लिए गयी तो अभियुक्त ने उन्हें मारने की धमकी दी।

39. परन्तु मृतका एवं अभियुक्त की पुत्रियां P.W. 4 राधिका उर्फ राधा एवं P.W. 5 विशाखा ने अपने बयानों में यह कहीं नहीं कहा है कि जब वे उनकी मॉ को बचाने के लिए गयी तो उनके पिता(अभियुक्त) ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी

हो। बल्कि उक्त दोनों साक्षीगण ने तो अपने बयानों में वक्त घटना उनके पापा का खेत पर होने का कथन किया है। अर्थात अभियुक्त वक्त घटना मौके पर नहीं था। ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त मौके पर नहीं होकर खेत पर था तो उसके द्वारा उसकी दोनों पुत्रियों को जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

40. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित एवं साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनाँक 30.11.23 की रात्रि से दिनाँक 01.12.23 की सुबह के मध्य किसी समय ग्राम बालेर में स्थित अपने मकान में स्वयं की पत्नी (परिवादी की पुत्री) आशा के साथ मोगरी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी तथा उक्त कृत्य के पश्चात अपनी पुत्रियों राधा, विशाखा एवं परी को उक्त कृत्य के बाबत किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया।

41. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302, 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त उक्त आरोपित अपराध में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्ति का हकदार हैं।

**–आदेश–**

42. परिणामतः अभियुक्त **सीताराम** पुत्र लड्डूलाल उम्र 40 साल निवासी ग्राम बालेर पुलिस थाना बहरावण्डा कलां जिला सवाई माधोपुर को धारा **302, 506** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

43. अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में दिनाँक 02.04.2026 को धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलकों की अवधि, प्रकरण में अपील किये जाने की सूरत में आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेगी।

44. प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित की जावे।

45. इस प्रकरण को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत संदर्भित किये जाने के बिन्दु

पर विचार किया गया। अभियोजन का मामला अभियुक्त के खिलाफ संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी पक्ष को धारा 357 या 357 क के अन्तर्गत प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**(डॉ. प्रियंका पारीक)**
अपर सेशन न्यायाधीश
सवाई माधोपुर

46. निर्णय आज दिनाँक **8 जून, 2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

**(डॉ. प्रियंका पारीक)**
अपर सेशन न्यायाधीश
सवाई माधोपुर

KAILASH SAINI
Digitally signed by KAILASH SAINI
Date: 2026.06.08 13:38:02 +0530